

कार्यालय-अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक वा0क0अधि0/यु0पी0ग0संशोधन/826 /2025 , लखनऊ, दिनांक :: 28 मई. 2025

संशोधित आदेश

श्री अजय विक्रम सिंह, न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, लखनऊ द्वारा प्रेषित पत्र सं0 342/2025 दिनांकित 28.05.2025 पर सम्यक विचारोपरान्त मुख्यालय के आदेशांक 698/2025 दिनांकित 28.04.2025 द्वारा दिनांक 02.06.2025 से 06.06.2025 तक गठित युगल पीठ निरस्त की जाती है।

इसी प्रकार श्री आर0एस0 द्विवेदी, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, मेरठ पीठ द्वितीय, मेरठ द्वारा प्रेषित पत्र सं0 90/2025 दिनांकित 27.05.2025 सम्यक विचारोपरान्त अस्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त आंशिक संशोधन के उपरान्त शेष स्थिति यथावत रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय / अधिकारियों को सूचित किया जाए।

ह/-28.05.2025

(रमेश चन्द-प्रथम)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन: संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ- 1 लखनऊ/अयोध्या/ पीठ अलीगढ़, पीठ-1 व पीठ-2 मेरठ।
2. मुत्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक(यात्रा-भत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी, मुख्यालय।
3. सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से


निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।